बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं/46/2019–806

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना 14, दिनांक– 23/10/2024

विषय – नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली–बख्तियारपुर (47.723–54.405 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 10.3680 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/40700/2019/121 दिनांक 27.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/BR/ROAD/40700/2019/121 दिनांक 27.02.2024 द्वारा मांगी गयी सूचनाओं का निराकरण प्रतिवेदन निम्नलिखित है–

क्रम सं.	पृच्छा	निराकरण
1	As per new Van (Sankashan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sankashan Evam Samvardhan) Rules, 2023, CA area needs to be proposed over equivalent non-forest land (NFL) and accordingly revised CA scheme & all related documents like .kml file of CA, land suitability certificate, map, etc. need to be uploaded on PARIVESH portal.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) को किये गये संशोधन के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि चिन्हित करने की आवश्यकता नहीं है। क्षतिपूरक वनीकरण अवकृष्ट वन भूमि में किया जाना है जिसे पूर्व में चिन्हित पर परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
2	As per DFO, Nawada's letter no.574 dated 20.02.2024, it has been submitted that the legal status of the proposed forest land for diversion is Reserved Forest (RF) but as per part-II of the proposal at sl. no.2, legal	उक्त से संबंधित सूचनाओं को परिवेश पोर्टल पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा भाग–II कॉलम में संशोधित कर दिया गया है।

फोन नं०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

	status of the proposed forest land is mentioned as Protected Forest (PF). This needs to be rectified as RF on PARIVESH portal.	
3	The field officials have recommended for construction of flyover in entire stretch of wildlife sanctuary whereas UA has denounced the recommendation citing the exorbitant cost involved. Therefore, a clear opinion of the state government is required whether the proposal is recommended in consonance with the observation of field officers or without it as solicited by the user agency.	अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 253 दिनांक 08.03.2021 (छायाप्रति संलग्न) के कडिका संख्या–11 (2) एवं राज्य सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पत्रांक 340 दिनांक 03.05.201 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रस्ताव का अनुशंसा किया जाता है।
4	NPV calculation needs to be submitted as per orders dated 06.01.2022 & 19.01.2022.	आश्रयणी अन्तर्गत परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली 10.3680 हे० वन भूमि के लिये 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से (10.3680X9.57780 लाख X5) = कुल रू० 4,96,51,315/– (चार करोड़ छियानवें लाख एकावन हजार तीन सौ पन्द्रह) मात्र नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि विषयगत परियोजना पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं/46/2019–806 दिनांक– 23/10/2024

प्रतिलिपि– सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार, सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/24

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
(Forest Conservation Division)
*****

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bag Road,
New Delhi - 110003

Dated: October, 2024

To

The Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries (Forests),
All States/ Union Territory Administrations.

Sub: The Van (Sanrakshan Evam Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024 – regarding.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the above subject and to inform that the Central Government has amended the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 by notifying the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024. Amended Rules came into force from the date of their publication in the official Gazette i.e. 20.09.2024. A copy of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024 is enclosed herewith for necessary action of all authorities concerned.

Encl: As above.

Signed by
Charan Jeet Singh
Date: 09-10-2024 09:31:14

Yours faithfully,

(Charan Jeet Singh)
Scientist 'E'

Copy to:

1. The Secretary (Coordination)/ Coal/ Mines/ MoRT&H/ Railways/ Power/ Steel
2. The PCCF, All States/ Union territories Administrations
3. The Dy. DGF (Central), All Regional Offices of MoEF&CC
4. The Nodal Officer (FCA), All States/ Union territories Administrations
5. Monitoring Cell of FC Division, MoEF&CC, New Delhi

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092024-257289
CG-DL-E-20092024-257289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024/भाद्र 29, 1946
No. 540] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2024/BHADRA 29, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 582(अ).— वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में, उपनियम (1) के तीसरे, चौथे और पांचवें परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह भी कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवक्रमित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है, जिसका विस्तार, मामला दर मामला आधार पर, केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों या केन्द्रीय सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के मामले में, प्रस्तावित क्षेत्र के दुगुने क्षेत्र के बराबर हो।

3. उक्त नियमों की अनुसूची-II में, सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 2 के सामने कोष्ठक और शब्दों के अधीन "(केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रस्तावों पर ही यह विधान अनुज्ञात है)" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 3 के सामने कोष्ठक और शब्दों के अधीन "(यह वितरण मामला-दर-मामला आधार पर कैप्टिव कोयला ब्लॉक्स के लिए राज्य के सार्वजनिक के उपक्रम और मामला-दर-मामला आधार पर केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के मामले में है)" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एफसी-11/111/2024-एफसी]

रमेश कुमार पांडेय, वन महानिरीक्षक

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 869(अ), तारीख 29 नवंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2024

G.S.R. 582(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, namely: —

1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1), for the third, fourth, and fifth proviso, the following proviso, shall be substituted, namely : —

"Provided also in exceptional circumstances when the suitable land required for compensatory afforestation under this sub-rule is not available, the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of the Central Government agencies or Central Public Sector Undertakings or captive coal blocks of State Public Sector Undertakings on a case to case basis".

3. In Schedule-II to the said rules, in the table, —

(i) The entries against serial number 2, under the brackets and words "(*This dispensation is allowed to certain proposals of Central Government and State Government or Union territory Administration only.)" shall be omitted;*

(ii) The entries against serial number 3, under the brackets and words "(*This dispensation is in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis and Central Government Agencies/Central Public Sector Undertakings on case to case basis involving no acquisition of non-forest land)"* shall be omitted.

[F. No. FC- 11/111/2024-FC]

RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 869(E), dated the 29th November, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.20 21:56:29 +05'30'

बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं./46/2019–

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक–

विषय – नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली–बखियारपुर (47.723–54.405 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 10.3680 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली–बखियारपुर (47.723–54.405 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 10.3680 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना–II का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 527 (ई०) दिनांक 10.05.2019 द्वारा "रक्षित वन" (RF) "रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी" के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 10.3680 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है।

3. विषयाधीन पथांश झारखंड राज्य के कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी से सटा हुआ है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके स्तर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमंडल, हजारीबाग से विमर्श के पश्चात स्पष्ट हुआ कि इस योजना का अंश भाग जो कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के क्षेत्राधीन पड़ता है, उसमें Flyover निर्माण के साथ पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की अनुशंसा की गयी है। इस संदर्भ में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी" संयुक्त बिहार के समय कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी का ही भाग है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा किया गया है कि बिहार राज्य अन्तर्गत पड़ने वाले "रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी" के पूरे पथांश में भी कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के अनुरूप Flyover निर्माण के साथ पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना वन्यप्राणी के सुरक्षा हेतु उचित होगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा परियोजना निर्माण की 5% राशि प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त कर आश्रयणी के विकास पर खर्च करने की अनुशंसा किया गया है।

4. आश्रयणी क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना निर्माण की 5% राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

5. अपयोजित होने वाली 10.3680 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये नवादा वन प्रमंडलन्तर्गत 22.00 हे० दिबौर पार्ट–I गोपालपुर आरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 44,41,408/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

6. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1168/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./46/2019–253 दिनांक– 08/03/2021

प्रतिलिपि – परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना–II/वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल, नवादा/वन संरक्षक, गया अंचल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.3.2021

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143

ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली–बख्तियारपुर (47.723–54.405 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 10.3680 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफेरेन्स मैप	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
7	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	वन संरक्षक, गया द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
11	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

04.3.2021

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन नं०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

पत्रांकः– वन भूमि–33 / 2021..... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुबोध कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक.....

विषय :– नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली–बख्तियारपुर (47.723–54.405 कि.मी.) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 10.3680 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली–बख्तियारपुर (47.723–54.405 कि.मी.) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 10.3680 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई पटना–II द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या–527(ई०) दिनांक–10.05.2019 द्वारा रक्षित वन (RF) रजौली वन्यप्राणी आश्रयणी के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित परियोजना में 10.3680 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

विषयाधीन पथांश झारखंड राज्य के कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी से सटा हुआ है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतवेदित किया गया है कि उनके स्तर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमंडल, हजारीबाग से विमर्श के पश्चात स्पष्ट हुआ कि इस योजना का अंश भाग जो कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के क्षेत्राधीन पड़ता है, उसमें Floyover निर्माण के साथ पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की अनुशंसा की गयी है। इस संदर्भ में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी" संयुक्त बिहार के समय कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी का ही भाग है। विषयांकित परियोजना प्रस्ताव पर बिहार राज्य वन्यप्राणी पर्षद् एवं राष्ट्रीय वन्यप्राणी पर्षद् की स्वीकृति के उपरांत स्टेज–1 की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा किया गया है कि बिहार राज्य अंतर्गत पड़ने वाले "रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी" के पूरे पथांश में भी कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के अनुरूप Floyover निर्माण के साथ पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना वन्यप्राणी के सुरक्षा हेतु उचित होगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा परियोजना निर्माण की 5% राशि प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त कर आश्रयणी के विकास पर खर्च करने की अनुशंसा किया गया है।

वन संरक्षक, गया द्वारा "रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी" के पूरे पथांश में या कम से कम बिहार –झारखंड बोर्डर (रतनपुर) से गोपालपुर 0.906 कि०मी० एवं गद्दीबोर से पररिया 5.151 कि०मी० के बीच अनिवार्य रूप से कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के अनुरूप Floyover निर्माण के साथ पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की अनुशंसा किया गया है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा परियोजना निर्माण में प्रभावित होने वाले 30 से०मी० से अधिक 981 वृक्षों में से 154 वृक्षों का परियोजना निर्माण के क्रम में पातन एवं 827 वृक्षों का पुर्नस्थापन प्रस्तावित है परन्तु प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर पर इस आशय की वचनबद्धता समर्पित नहीं है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43/2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 10.3680 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 20.736 हे0 अर्थात 22.00 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल नवादा के रजौली प्रक्षेत्र अन्तर्गत दिबौर पार्ट–1 (गोपालपुर आरक्षित वन) को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपन का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव के लिए तत्संबंधी टोपो सीट एवं Geo-referenced Map संलग्न है। विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र–II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. "रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी" के पूरे पथांश में या कम से कम बिहार–झारखंड बोर्डर (रतनपुर) से गोपालपुर–0.906 कि०मीएवं गद्दीबोर से पररिया–5.151 कि०मी० के बीच अनिवार्य रूप से कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के अनुरूप Flyover निर्माण के साथ पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
3. आश्रयणी अंतर्गत परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली 10.3680 हेवन भूमि के लिये 6.26 लाख प्रति हे० के दर से (10.3680 X 6.26 लाख X 5) कुल रू० 3,24,51,840/– (तीन करोड़ चौबीस लाख एकावन हजार आठ सौ चालीस रूपये) मात्र नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
4. आश्रयणी क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना निर्माण की 5% राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

5. अपयोजित होने वाली 10.3680 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये नवादा वन प्रमंडलान्तर्गत 22.00 हे० दिबौर पार्ट– गोपालपुर आरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 44,41,408/– (चौवालीस लाख इक्तालीस हजार चार सौ आठ रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
6. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1168/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–33/2021...................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक..
प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/"परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई पटना–II को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–33/2021..५४०(ई)../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक.....03/05/2021.............
प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

3.5.21
(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव